कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांकःनपाश्रीमा/2022–23/3512 दिनांकः 01/09/2022

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 01.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 6 (छः) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :—

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर (हरिनारायण) (अध्यक्ष) अनुपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रजत जैन) (सदस्य सचिव) उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जाटू) (सदस्य) उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर (लोकेश निठारवाल) (सदस्य) उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रक्षपाल स्वामी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (निश्चल बनर्जी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय के दिनांक 01.09.2021 को प्रातः 11.15 बजे तक अनुपस्थित रहने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.8 (ग) () नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के नोट बिन्दू संख्या 03 में दिये आदेशो की पालना में उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर उक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमान अधिशाषी अधिकारी के द्वारा करते हुए श्रीमान अधिशाषी अधिकारी की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :—

1. **श्री मुकेश कुमार ओसवाल पुत्र श्री हरि नारायण ओसवाल निवासी वार्ड नं. 08 महावीर दल के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर एवं श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील खण्डेला जिला सीकर द्वारा खसरा नं. 298 कुल खसरे 01 रकबा 1.9000 हैक्टर राजस्व ग्राम विजयपुरा तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "प्रभु नगर द्वितीय" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार/निर्णय :—** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मुकेश कुमार ओसवाल पुत्र श्री हरि नारायण ओसवाल निवासी वार्ड नं. 08 महावीर दल के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर एवं श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील खण्डेला जिला सीकर द्वारा खसरा नं. 298 कुल खसरे 01 रकबा 1.9000 हैक्टर राजस्व ग्राम विजयपुरा तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "प्रभु

Scanned with CamScanner

नगर द्वितीय" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.07.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1943 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1844 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2079–83 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा प्रारूप–11 में उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90 (क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90–(क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2086 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ "प्रभु नगर द्वितीय" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/ 1600/ 316 / श्रीमाधोपुर/ 2022/1389 दिनांक 08.08.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "प्रभु नगर द्वितीय" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा, योजना के आन्तरिक विकास होने तक 12.5 प्रतिशत पट्टे नगर पालिका में रहन रखे हेतु शपथ पत्र एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/ 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जावेगे। उक्त आदेशो की पालना में एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री मुकेश कुमार ओसवाल पुत्र श्री हरि नारायण ओसवाल निवासी वार्ड नं. 08 महावीर दल के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर एवं श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील खण्डेला

01/09/2022

Scanned with CamScanner

जिला सीकर द्वारा खसरा नं. 298 कुल खसरे 01 रकबा 1.9000 हैक्टर राजस्व ग्राम विजयपुरा तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "प्रभु नगर द्वितीय" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **श्री भगवान सिंह जाट पुत्र श्री ईश्वरलाल जाट द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2913/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.1600 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने पर विचार/ निर्णय :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री भगवान सिंह जाट पुत्र श्री ईश्वरलाल जाट द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2913/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.1600 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 18.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित समयावधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1791 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक राजस्व/2022/555 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2032–36 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा प्रारूप (11) में उपरोक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90 (क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज कर दिया गया। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में आगे व्यावसायिक एवं पीछे आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2084 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/1600/श्रीमाधोपुर/2022/1387 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वर्णित पत्र के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 के बिन्दू संख्या 21 (6) के अनुसार मास्टर प्लान में जिन सडको के सहारे भू–उपयोग

01/09/2022

Scanned with CamScanner

व्यावसायिक/ मिश्रित दर्शित है। उन भूखण्डो पर व्यावसायिक/मिश्रित उपयोग सडक की चौडाई का अधिकतम डेढ गुणा गहराई अथवा एक सम्पति तक जो भी कम हो अनुज्ञेय होगा।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/ 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जावेगे। उक्त आदेशो की पालना में एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री भगवान सिंह जाट पुत्र श्री ईश्वरलाल जाट द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2913/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.1600 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमानुसार शुल्क लिया जाकर दिये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. **श्री फकरूदीन पुत्र छोटू खॉ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री फकरूदीन पुत्र छोटू खॉ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 31 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्व हो रहा है, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित एव नगर मित्र द्वारा प्रमाणित भूखण्ड साईट खसरा सुपरइम्पोज अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं. 147 किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्व हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.61 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

01/03/2022

Scanned with CamScanner

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/ 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जावेगे। उक्त आदेशो की पालना में एम्पावर्ड समिति के उपस्थित एम्पावर्ड समिति के शेष सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्री फकरूदीन पुत्र छोटू खॉ से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.61 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. **श्री भागीरथ मल सैनी पुत्र श्री गुलाराम सैनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री भागीरथ मल सैनी पुत्र श्री गुलाराम सैनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 04.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्व हो रहा है, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित एव नगर मित्र द्वारा प्रमाणित भूखण्ड साईट खसरा सुपरइम्पोज अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं. 135 किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्व हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 161.70 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/ 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जावेगे। उक्त आदेशो की पालना में एम्पावर्ड समिति के उपस्थित एम्पावर्ड समिति के शेष सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति

01/09/2022

Scanned with CamScanner

के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्री भागीरथ मल सैनी पुत्र श्री गुलाराम सैनी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 161.70 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. **श्री नारायण लाल सैनी पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री नारायण लाल सैनी पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि / पश्चात प्राप्त आपत्ति को नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 31 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्व हो रहा है, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित एव नगर मित्र द्वारा प्रमाणित भूखण्ड साईट खसरा सुपरइम्पोज अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं. 147 किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्व हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 102.05 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग) ( ) नियम/डीएलबी/ 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जावेगे। उक्त आदेशो की पालना में एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्री मोहनलाल सैनी पुत्र स्व. श्री चौथमल सैनी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 102.05 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

01/09/2022

Scanned with CamScanner

6. **प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार** :– उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 980 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 720 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(रजत जैन)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाट)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग, सीकर

Lokesh Nitharwal 01/09/2022
(लोकेश निठारवाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(निश्चल बनर्जी)
लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Scanned with CamScanner